

फार्म 'अ'
(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक 2025050501000084 / 2024-2025
विषय:-.....वृक्ष कटाई हेतु अनुमति बाबत।.....मामले की श्रेणी.....अ-62.....सन्.....2024-2025
ग्राम -.....कोरबा.....बन्दोबस्त क्रमांक.....पटवारी हल्का क्रमांक.....16.....तहसील.....कोरबा.....
कलेक्टर का क्रमांक.....सन्.....अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक.....सन्.....2024-2025
तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही दिग्विजय कुमार बनाम छ0ग0शासन	जहाँ आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ता आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के सक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
26/05/2025	— आवेदक दिग्विजय कुमार शुक्ला, निवासी— आवास क्रमांक आई.बी-35 शहीद भगत सिंह कॉलोनी, एस.ई.सी.एल. कोरबा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम—कोरबा, प.ह.नं. —16, तहसील व जिला— कोरबा में स्थित आवेदक के आवास में स्थित साल वृक्ष जो पूर्ण रूप से सूख चुका है। जो कभी भी गिर सकता है। सूखे हुए साल वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा छ.ग. का पत्र क्रमांक/राजस्व/2855 कोरबा, दिनांक -14/05/2025 को इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत की गई। — प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो। — प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण / संयुक्त जाँच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप-घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 14/05/2025 प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप -घ के अनुसार कुल-01 नग साल वृक्ष पाया गया, जिसमें से परिपक्व वृक्ष -01 नग साल वृक्ष को काटने हेतु मौके में पाया गया है। — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। — छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:- (क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर, (ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,	

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों
की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ङ.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा
आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर- नीचे क्षेत्र पर, न तो
काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न
ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

— आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ लागू नहीं होना
पाया गया।

— नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी
हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

— 01 नग साल वृक्ष कटाई के नियत 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे
हुए वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के
उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग
किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा
करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा
किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल- 01 नग साल वृक्ष की विदोहन की
अनुमति दी जाती है।

— संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध
कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुमति अधिकारी (सह)
कोरबा जिला (उ.प्र.)

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

1157
27/05/2025

प्रति,

दिग्विजय कुमार शुक्ला,
निवासी- कोरबा, प.ह.नं.-16
तहसील व जिला-कोरबा,

विषय:- 01 नग वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा छ.ग. के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14/05/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

साल - 01 नग सूखे वृक्ष अवस्थित रूप से खड़े अवस्था में हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक दिग्विजय कुमार शुक्ला, निवासी- आवास कमांक आई.बी-35 शहीद भगत सिंह कॉलोनी, एस.ई.सी. एल. कोरबा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम-कोरबा, प.ह.नं.-16, तहसील व जिला- कोरबा, में स्थित आवेदक के आवास में कुल 01 नग सूखे साल वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल - 01 नग साल वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल- 01 नग साल वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

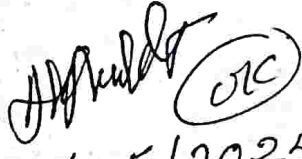
यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 27/05/2025

पृ.क. 1158 / अ.वि.अ. / वाचक / 2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


28/05/2025